



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट 03 अभियुक्त को 06 वर्ष के कारावास व ₹15,000/- के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 212/2011 धारा- 323/34,325/34,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.बालादीन पुत्र स्व0 रामचरन राजपूत 2.लखन पुत्र बालादीन राजपूत 3.देवेन्द्र पुत्र बालादीन राजपूत निवासीगण दामपूरवा थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुये 06 वर्ष के कारावास व ₹15,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी
विजय सिंह



विवेचक-
सीओ शील कुमार



पैरोकार
थाना- मुस्करा
हे0का0 बिजमान सिंह